High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur

NOTIFICATION

क्रमांक / <u>A/3780</u> तीन-10-42/75 जबलपुर, दिनांक 23/08/2016

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री अजय रामावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, मनासा अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त रामपुरा में प्रत्येक माह में 7 दिवस की अविध के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे। परिणामस्वरूप नीमच—रामपुरा श्रंखला न्यायालय समाप्त की जाती है।

No. <u>A/3780</u> III-10-42/75

Jabalpur, dated 23.8.2016

In exercise of the powers conferred by section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Ajay Ramawat, First Civil Judge Class 2, Manasa shall also hold sitting at Rampura in addition to his place of sitting for the period of 7 days in a month for holding Link Court. As a consequence thereof, the Neemuch-Rampura, Link Court is hereby discontinued.

BY ORDER OF THE HIGH COURT

(VIVEK SAXENA) O.S.D. (D.E.)